घोषणाएं

- बजट भाषण में **बीपीएल परिवारों के लिए दो रुपये प्रति किलो की दर से गेंहू देने की योजना** लागू की गई है। मैं घोषणा करता हूँ कि बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त **स्टेट बीपीएल परिवारों** को भी गेंहू, दो रुपया प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिन सरकारी उपक्रमों में वित्तीय या अन्य कारणों से **अनुकम्पात्मक नियुक्ति** देना संभव नहीं होने की स्थिति में, पात्र व्यक्तियों को बीपीई (Bureau of Public Enterprises) के माध्यम से राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
- बजट भाषण में ''**महाराष्ट्र पैटर्न**'' योजना का नाम बदल कर ''**जनजाति कल्याण निधि**'' किया गया है। नये नामकरण के कारण योजना के बारे में कुछ भ्रान्तियां उत्पन्न हो गई हैं। मैं सभी माननीय सदस्यगण को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि योजना का केवल नाम बदला गया है तथा यह योजना हूबहू वैसी की वैसी रहेगी।
- **अकाल राहत के अन्तर्गत चारा परिवहन अनुदान** की दरों का निर्धारण वर्ष 2002 में किया गया था। माननीय सदस्यगणों की मांग को देखते हुए, चारा परिवहन अनुदान की दरों में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है। बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो जायेंगी।
- राज्य के सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में **राहत कार्य** प्रारम्भ कर दिए गए हैं। छोटे शहरों में राहत कार्य प्रारम्भ करने की मांग सरकार के सामने आई है। राज्य सरकार ने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नगरपालिका क्षेत्रों में पड़ने वाले अधिसूचित सूखाग्रस्त गाँवों के श्रमिकों को रोजगार सुलभ कराने हेतु 1 अप्रेल 2010 से राहत कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।
- राज्य के कुछ जिले जैसे बारां, कोटा, झालावाड़ व बूंदी में निरन्तर गिरते जल–स्तर को रोकने के लिए एवं सतही जल का ओवर–फ्लो को रोकने के लिए प्रायोगिक तौर पर **एनीकट निर्माण कार्य** नरेगा के अन्तर्गत प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इन कार्यों पर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- बजट प्रस्तुत करते समय मैंने घोषणा की थी कि 10,000 **महिला स्वयं सहायता समूहों** के बैंक ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान की सुविधा, अब समस्त 30,000 पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
- **भीखा भाई सागवाड़ा केनाल** के निर्माण कार्यो पर आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगें। इस कार्य को अगले दो वर्षो में पूर्ण किया जाएगा।

- NRHM के माध्यम से संविदा पर कार्यरत **मेडिकल आफिसर आयुष के मानदेय** को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 16 हजार 800 रुपये प्रति माह किया जाएगा। साथ ही, संविदा पर कार्यरत **कनिष्ट आयुर्वेद नर्स/ कम्पाउण्डर का मानदेय** भी 4 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
- **शिक्षा विभाग में कार्यरत अप्रशिक्षित विधवा एवं विवाह–विच्छिन्न** प्रशिक्षु अध्यापिकाओं का स्थिर मानदेय 2,750/– रुपये से बढ़ाकर 3,500/– रुपये प्रति माह करने की मैं घोषणा करता हूँ।
- **जिला प्रमुखों की यात्राओं के दिवसों** को 120 से बढ़ाकर 240 दिवस प्रति वर्ष किया जा रहा है। प्रधानों के लिये यात्राओं के दिवस 60 दिन से बढ़ाकर एक वर्ष में 120 दिन किये जा रहे है।
- वर्ष 2010–11 में **11** नई **पंचायत समितियों के भवनों** का निर्माण करवाया जाएगा जिस पर **5. 50** करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- राज्य के जिन जिला चिकित्सालयों में **सी.टी. स्केन मशीन** उपलब्ध नहीं है वहाँ outsourcing करके यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। जिस जिले में outsourcing से यह व्यवस्था संभव नहीं हो पायेगी, वहाँ राज्य सरकार इसकी व्यवस्था चरणबद्ध रूप से करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **'ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना'** के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- **'ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना'** के अन्तर्गत **ग्रामीण क्षेत्रों** में शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों के निर्माण के लिये 10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के प्रावधानों से उपलब्ध कराई जायेगी।
- **शहरी क्षेत्रों** के लिये भी सहभागिता योजना के अनुरूप शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारी के निर्माण के लिये 10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
- राज्य में 27 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें राजकीय या निजी महाविद्यालय नहीं हैं। इन तहसीलों में जन सहभागिता योजना के तहत महाविद्यालय खोलने हेतु शैक्षणिक संस्था संचालन का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को कॉलेज प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख रुपये भूमि एवं भवन निर्माण हेतु एवं 20 लाख रुपये पुस्तकालय इत्यादि के लिये होंगे। महाविद्यालय के संचालन के लिये आवर्ती खर्च संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

- प्रबोधक, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गाँधी पैरा टीचर्स, विद्यार्थी मित्र तथा लोक जुम्बिश के कर्मिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर तथा समय समय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने हेतु शिक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उपसमिति का गठन करना प्रस्तावित है। यह समिति दो महीनों में अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा 15 अगस्त, 2010 से पहले संबंधित सभी मुद्दों पर अंतिम फैसला लिया जायेगा।
- जिन पंचायत समिति मुख्यालयों पर एम्बूलेंस सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं वहाँ चरणबद्ध रूप से 108 एम्बूलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

Declared Goods

- Declared goods के सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही में 11 मार्च को काफी गतिरोध रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। माननीय सदस्यों को मैं पुनः आश्वस्त करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की कभी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी, जिससे इस गरिमापूर्ण सदन के विशेषाधिकार का हनन हो।
- यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि Declared goods केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में वर्णित हैं। इस एक्ट की धारा 15 में Declared goods पर दिनांक 1.10.1958 से 2 प्रतिशत, दिनांक 1.7.1966 से 3 प्रतिशत व दिनांक 1.7.1975 से 4 प्रतिशत से अधिक राज्य बिक्री कर दर न किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार पिछले 35 वर्षों से Declared goods पर राज्य कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक करने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है।
- राज्य के वैट एक्ट, 2003 के शैड्यूल 4 में सभी प्रविष्ठियों पर 4 प्रतिशत कर दर थी। यह मात्रा संयोग ही था कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत Declared goods पर भी 1975 से ही अधिकतम कर दर 4 प्रतिशत ही थी। इस बजट में जब शैड्यूल 4 में वर्णित सभी आईटम्स पर कर दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई तब भी Declared goods पर केन्द्रीय बिक्री कर एक्ट, 1956 के कारण VAT की दर 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ ही नहीं सकती। (जो 1975 से ही fix निश्चित है)
- तथापि व्यापारी वर्ग में उक्त वस्तुओं पर कर दर के सम्बन्ध में कोई संशय की स्थिति नहीं रहे और न ही कोई आमजन से अनावश्यक/अनाधिकृत रूप से गलत टैक्स वसूल कर पाये, यह अलग से स्पष्ट करना आवश्यक था जिसके कारण दिनांक 10.3.2010 को सिर्फ स्पष्टीकरण निकाला गया।
- यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित रहेगा कि इस स्पष्टीकरण में Declared goods पर कर की दर न तो बढाई गई थी और न घटाई गई, अपितु जो कर दर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वास्तव में थी उसी को और स्पष्ट किया गया।